न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 57 / 2018

शायर पुत्र मूलाराम जाति मेघवंशी, निवासी हरड़िया तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम सायर अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 23 / 2018 निर्णय दिनांक 16.8.2018

उपस्थितिः–

1 .श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, एडवोकेट ––––– ––––– ––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 26.8.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.8.2918 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सायर मु0नं0 23 / 2018 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि–पटवारी हल्का हरड़िया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि ग्राम हरड़िया स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 1005 / 904 किस्म गैर मु. चारागाह के रकबा 1.00 हैक्टर में बाजरा की फसल बोकर अतिक्रमण कर लिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधि0 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुये सरह लगान 1 रूपया का 50 गुणा 50 रूपये तावान कायम कर वसूल करने का आदेश पारितकिया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी किया जिस पर अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के पिता के जीवनकाल से सम्वत 2012 से कब्जा चला आ रहा है। उक्त जमीन की खसरा

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

परिवर्तनशील जमा निर्धारण में सम्वत 2029 से 2030 में कृषक अपीलांट के पिता मूला पुत्र लादू चमार को बताया गया है तथा सम्मत 2028 की खसरा गिरदावरी में अपीलांट के पिता मूला का कब्जा बताया गया है जिससे साफ जाहिर है कि अपीलांट ने नया अतिक्रमण नहीं किया है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदशी सम्वत 2012 में जमीन गत खसरा नंबर 446 रकबा 6 बीघा गैर मु0 नाला हाल खसरा नंबर 1005/904 रकबा 2.87 हैक्टर में पाना नंबर 20 राजसिंह पटटी नं.1 राजकीय भूमि का खाता भूमि चराई में योग्य नहीं है, नदी नाले दर्ज किये गये हैं उक्त जमीन पूर्व में चारागाह नहीं थी तथा जमीन किसी न्यायालय के आदेश से चारागाह दर्ज नहीं हुई है। उक्त भूमि का लगान अदा किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन न कर आलौच्य निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य की सही प्रकार से विधिनुिकूल व्याख्या नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि के संबंध में नियमन की सिफारिश करनी चाहिए। अपीलांट विकलांग व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरित कार्यवाही करते हुये अपीलांट को उक्त जमीन पर अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। विवादित जमीन पर अपीलांट का बहुत पुराना कब्जा है जिसको ग्राम पंचायत हरड़िया ने स्वीकार किया है और प्रमाण पत्र जारी किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी के बयान नहीं लिये और दस्तावेज का गहन अध्ययन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 16.8.2018 निरस्त किये जाने का आदेश दिया जावे तथा विवादित भूमि को अपीलांट के हक में नियमन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी किया जिस पर अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के पिता के जीवनकाल से सम्वत 2012 से कब्जा चला आ रहा है। उक्त जमीन की खसरा परिवर्तनशील जमा निर्धारण में सम्वत 2029 से 2030 में

अति. जिला कलक्टर
झुन्झनू

कृषक अपीलांट के पिता मूला पुत्र लादू चमार को बताया गया है तथा सम्मत 2028 की खसरा गिरदावरी में अपीलांट के पिता मूला का कब्जा बताया गया है जिससे साफ जाहिर है कि अपीलांट ने नया अतिक्रमण नहीं किया है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदइी सम्वत 2012 में जमीन गत खसरा नंबर 446 रकबा 6 बीघा गैर मु0 नाला हाल खसरा नंबर 1005/904 रकबा 2.87 हैक्टर में पाना नंबर 20 राजसिंह पटटी नं.1 राजकीय भूमि का खाता भूमि चराई में योग्य नहीं है, नदी नाले दर्ज किये गये हैं उक्त जमीन पूर्व में चारागाह नहीं थी तथा जमीन किसी न्यायालय के आदेश से चारागाह दर्ज नहीं हुई है। उक्त भूमि का लगान अदा किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन न कर आलौच्य निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य की सही प्रकार से विधिनुिकूल व्याख्या नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित करने में कूननी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि के संबंध में नियमन की सिफारिश करनी चाहिए। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 16.8.2018 निरस्त किये जाने का आदेश दिया जावे तथा विवादित भूमि को अपीलांट के हक में नियमन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 1005/904 किस्म गैर मु0 चारागाह के रकबा 2.87 हैक्टर में से रकबा 1.00 हैक्टर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतडी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी हरड़िया की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि खसरा नंबर 1005/904 किस्म गैर मु0 चारागाह के रकबा 2.87 हैक्टर में से रकबा 1.00 हैक्टर पर अपीलांट द्वारा काश्त कर अतिक्रमण करना बताया गया है। अपीलांट का कथन कि विवादित भूमि पर उसका पुराना कब्जा है, भूमि की किस्म चारागाह होने से पुराने कब्जे के आधार पर भी अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.8.2018 उनवानी सरकार बनाम सायर मु0नं0 23/2018 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 26.8.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू